

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—:प्रेस नोट:—

दिनांक: 03.08.2017

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2013 की उत्तर-पुस्तिकाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 04.05.2017 से Up Load करने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है जो अभ्यर्थी सूचना का अधिकार के तहत स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं, वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना-पत्र मय निर्धारित शुल्क रू 10/- के दिनांक 14.08.2017 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.08.2017 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जायेंगे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जायेंगी। दिनांक 14.08.2017 के पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव